अपील प्राथना पत्र
माननीय केंद्रीय सुचना आयोग
नई दिल्ली

सेवा में ,

मुख्य सुचना आयुक्त महोदय

केंद्रीय सुचना आयोग

नई दिल्ली

विषय -: सुचना अधिकार कानून 2005 के अंतर्गत दूसरी अपील

(A) **Civil Procedure Code 1908 :- Order – XLI Rule – 2 Appellate Authority Is Bound To Consider each and every aspect and point raised in an appeal (Para7)**

कि आबेदिका ने दिनांक 16/08/2017 को एक प्रपत्र (क) आबेदन पत्र लोक सुचना पदाधिकारी बैंक ऑफ़ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय पटना को प्रेषित किया । कि लोक सुचना पदाधिकारी द्वारा दिनांक 19/08/2017 को ईमेल के माध्यम से आबेदिका को सुचना प्राप्त हुआ जिसमें लोक सुचना पदाधिकारी ने कंडिकासंख्या (3) का उत्तर छल, भ्रामक एवम गलत दिया है जो सुचना अधिकार कानून 2005 कि अवहेलना है । लोक सुचना पदाधिकारी ने आबेदिका को सूचित किया **कि हाजीपुर शाखा ने सूचित किया है कि पारिवारिक पेंशन लेने आने के समय पेंशनर को इस बात की बार बार सुचना दी जाती रही है कि आपको ज्यादा payment हो गया है तथा इसकी कटौती की जायगी ।**

लोक सुचना पदाधिकारी द्वारा गलत एवम तथ्यहीन सुचना प्राप्त होने के बाद आबेदिका ने दिनांक 21/08/2017 को प्रथम अपील पत्र दायर किया जिसमे आबेदिका ने प्रथम अपील पदाधिकारी से अनुरोध किया कि वो लोक सुचना पदाधिकारी को यह आदेश दे कि वो अपने द्वारा आबेदिका को सूचित किया गए उत्तर का प्रमाणित साक्ष्य आबेदिका को निर्गत करे एवम ये भी अनुरोध किया कि वो लोक सुचना पदाधिकारी को यह आदेश दे कि आबेदिका द्वारा मागी गई कंडिकासंख्या (3) प्रमाणित सुचना निर्गत करे ।

जिसके बाद दिनांक 23/08/2017 को अपील के जवाब में लोक सुचना पदाधिकारी ने अपने द्वारा निर्गत सुचना को बदलकर आबेदिका को फिर एक बार गलत सुचना निर्गत किया कि -:

इस संबंध मे हाजीपुर शाखा से मामला को take up किया गया तथा हाजीपुर शाखा ने सूचित किया है कि अभी कटौती नहीं की गयी है तथा कटौती अगस्त 2017 से की जानी है | कटौती के पूर्व आपको लिखित रूप मे सूचित किया जा चुका है कि पेंशन की राशि ज्यादा मिल रही है | हाजीपुर शाखा ने पुनः सूचित किया है कि Nov 2016 मे जीवन प्रमाण पत्र देने के समय मे भी शाखा द्वारा सूचित किया गया था |

जिसके बाद आबेदिका ने दिनांक 27/08/2017 को लोक सुचना पदाधिकारी बैंक ऑफ़ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय पटना को फिर एक बार प्रपत्र (क) आबेदन पत्र प्रेषित किया और अन्य सूचनाओ के साथ ये भी कहा कि -: आबेदिका के नवम्बर 2016 के जीवन प्रमाण पत्र कि कॉपी निर्गत करे जिसके बाद दिनांक 30/08/2017 को लोक सुचना पदाधिकारी ने आबेदिका को अन्य सूचनाओ के साथ सूचित किया कि पारा एक के संदर्भ मे हाजीपुर शाखा ने सूचित किया है कि जीवन प्रमाण पत्र शाखा मे उपलब्ध नहीं है | इस संदर्भ मे कृपया जीवन प्रमाण पत्र शाखा मे जमा करे | शाखा ने इस संबंध मे सूचना आपको संवाद मे दे दिया है |

केंद्रीय सुचना आयोग से आबेदिका द्वारा कि गई प्रार्थना

(1) मुख्य सुचना आयुक्त महोदय से यह अनरोध है कि वो लोक सुचना पदाधिकारी को यह आदेश दे कि वो आबेदिका को अपने द्वारा दोनों ही जगह पे दिए गए गलत सुचना का कारन स्पस्ट करे **।**

(2) मुख्य सुचना आयुक्त महोदय से सादर अनुरोध है कि लोक सुचना पदाधिकारी द्वारा पेंशनर - सह - वरिष्ठ नागरिक को दोनों बार गलत सुचना दे कर भ्रमित करने मानसिक प्रतारणा करने एवम सुचना अधिकार कानून 2005 कि अवहेलना करने के लिए अधिनियम के प्राबधानो के तहत जुर्माना लगाये **एवम आबेदिका को सुचना लेने में हुई मानसिक प्रतारणा के लिए आबेदिका को जुर्माना कि रकम देने कि भी कृपा करे ।**

पेंशन मामलो के निपटारा के लिए माननीय केंद्रीय सुचना आयोग का निर्देश -:

The Commission would like to reiterate that all the cases relating to delay in fixation/payment of pension and also arrears shall be dealt with urgently considering them as request for information concerning the life or liberty under section 7 (1) of RTI Act. Any grievance regarding these issues also should be treated as 'right to life' under Article 21 of the Indian Constitution and the public authorities shall do all the needful to address the issue within 48 hours.

It is also the duty of the FAA to identify if the issue in first appeal relates to pension and to initiate hearing process within 48 hours. The FAA being the senior officer of the Public Authority has to summon the CPIO or any other concerned officer to redress the grievance as soon as possible on an urgent basis, if the grievance can be redressed, the same has to be intimated to the appellant and hearing shall be fixed within 48 hours with due intimation to the appellant. The same thing shall apply to CIC/SIC also Not only the CPIO, even the other authorities under RTI Act like the First appeal/second appellate authorities also should dispose such appeals involving pension issues, within 48 hours. The First appellate authority, being a senior officer of public authority, has a higher moral, legal and human obligation to take up the case of pensions and pension-arrears on priority and at least send a hearing notice within 48 hours.

सुचना अधिकार कानून 2005

FORM - A

SEE RULE 3 (1)

सेवा में,

लोक सुचना पदाधिकारी - सह - मुख्य प्रबंधक

बैंक ऑफ़ इंडिया

हाजीपुर वैशाली विहार

विषय -: सुचना अधिकार कानून 2005 के अंतर्गत सुचना निर्गत कराने का अनुरोध ।

कि सुचना अधिकार कानून 2005 के अंतर्गत निम्लिखित कंडिकाबार प्रमाणित सुचना निर्गत करने कि कृपा करे ।

(1) कि दिनांक 10/08/2017 अपील अनुरोध संख्या **BKOIN/A/2017/60148** के आलोक में आपने आबेदिका को अन्य सूचनाओ के साथ सूचित किया है कि **पीपीओ बैंक तथा पेंशनर के पास भी होता है । अतः पेंशनर का भी दयित्व है कि अगर उन्हे कम या ज़्यादा पेंशन मिलता है तो उसे बैंक/ट्रेजरी को सूचित करे ताकि उचित कारवाई हो सके ।**

जबकि सुचना अधिकार अनुरोध संख्या BKOIN/R/2017/50607 मे लोक सुचना पदाधिकारी - सह - मुख्य प्रबंधक द्वारा सुचना दिया गया कि :-

pensioner की मृत्यु होने के कारण 18/05/2008 से normal pension family pension मे convert हुआ

लोक सुचना पदाधिकारी - सह - मुख्य प्रबंधक सुचना कि कृपा करे कि जब पीपीओ बैंक तथा पेंशनर के पास होता है तो पेंशनर के मृत्यु के पश्चात FAMILY पेंशन लेने बाले के पास P.P.O कि कॉपी कैसे मौजूद होगी ।

(2) कि आबेदिका को बैंक ऑफ़ इंडिया हाजीपुर द्वारा बिना सूचित किये उनके पेंशन से राशी कि कटौती किस विधि (कानून) के अंतर्गत किया गया है ।

(3) कि बैंक ऑफ़ इंडिया हाजीपुर शाखा का यह दयित्व नहीं है कि राशी कि कटौती से पूर्व पेंशन धारी श्रीप्रिया देवी को उचित माध्यम से सूचित किया जाना ।

केंद्रीय सुचना आयोग नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश :-

The Commission would like to reiterate that all the cases relating to delay in fixation/payment of pension and also arrears shall be dealt with urgently considering them as request for information concerning the life or liberty under section 7 (1) of RTI Act. Any grievance regarding these issues also should be treated as 'right to life' under Article 21 of the Indian Constitution and the public authorities shall do all the needful to address the issue within 48 hours.

Not only the CPIO, even the other authorities under RTI Act like the First appeal/second appellate authorities also should dispose such appeals involving pension issues, within 48 hours. The First appellate authority, being a senior officer of public authority, has a higher moral, legal and human obligation to take up the case of pensions and pension-arrears on priority and at least send a hearing notice within 48 hours.

पेंशनर - सह - खाता धारक - श्रीप्रिया देवी

पेंशन खाता संख्या - 465412110000001

लोक सुचना पदाधिकारी द्वारा आबेदिका को ईमेल पे दिए उत्तर कि कॉपी

महाशया/महाशय

कृपया हमारे दिनांक 19/08/2017 के on line reply का संदर्भ ले

इस सदर्भ मे हाजीपुर शाखा ने सूचित किया है कि मूल पीपीओ मे ही पारिवारिक पेंशन के बारे मे लिखा होता है | पारिवारिक पेंशन उसी के आधार पर दिया जाता है| पीपीओ की एक कॉपी बैंक के अलावा पेंशनर के पास भी रहता है | दूसरा पीपीओ की कॉपी का सवाल ही नहीं उठता है | बैंक तथा पेंशनर के बीच मे समझौता होता है कि ज्यादा या कम पेंशन पेमेंट होने पर उचित कारवाई की जायगी | इसी Declaration के आधार पर उनकी कटौती की जा रही है | हाजीपुर शाखा ने सूचित किया है कि पारिवारिक पेंशन लेंने आने के समय पेंशनर को इस बात की बार बार सूचना दी जाती रही है कि आपको ज्यादा payment हो गया है तथा इसकी कटौती की जायगी |

धन्यवाद

भवदीय

अमरेन्द्र कुमार

लोक सूचना अधिकारी

सुचना अधिकार कानून 2005
प्रथम अपील पत्र
सुचना अधिकार अधिनियम 2005 कि धारा 19 के अंतर्गत

सेवा में,

प्रथम अपील अधिकारी - वरीय लोक सुचना पदाधिकारी

बैंक ऑफ़ इंडिया

हाजीपुर वैशाली विहार

विषय :- सुचना अधिकार अधिनियम 2005 कि धारा - 19 के अंतर्गत प्रथम अपील

(A) Civil Procedure Code 1908 :- Order – XLI Rule – 2 Appellate Authority Is Bound To Consider each and every aspect and point raised in an appeal (Para7)

(1) कि प्राथी आबेदिका सुचना अधिकार कानून 2005 के अंतर्गत आपके विभाग के लोक सुचना पदाधिकारी बैंक ऑफ़ इंडिया हाजीपुर को दिनांक 16/08/2017 को एक प्रपत्र (क) आबेदन पत्र प्रेषित किया था ।

(2) कि लोक सुचना पदाधिकारी द्वारा दिनांक 19/08/17 को ईमेल के माध्यम से मुझे उत्तर प्राप्त हुआ जिसमे लोक सुचना पदाधिकारी ने कंडिकासंख्या 3 का उत्तर **छल , भ्रामक , गलत** दिया है जो सुचना अधिकार कानून 2005 कि अवहेलना है ।

(3) लोक सुचना पदाधिकारी ने आबेदिका को सुचना दि है कि -: **हाजीपुर शाखा ने सूचित किया है कि पारिवारिक पेंशन लेंने आने के समय पेंशनर को इस बात की बार बार सूचना दी जाती रही है कि आपको ज्यादा payment हो गया है तथा इसकी कटौती की जायगी** |

जो भ्रामक एवम तथ्यहीन सुचना निर्गत है क्युकी पारिवारिक पेंशनर अपना पेंशन संदेशवाहक के माध्यम से पूर्व से ही चेक द्वारा अपनी राशी प्राप्त करती रही है तथा वीते कुछ वर्षो से इन्टरनेट बैंकिंग के माद्यम से अपनी पेंशन की राशी प्राप्त करती है ।

लोक सुचना पदाधिकारी - सह मुख्य प्रबंधक बैंक ऑफ़ इंडिया हाजीपुर प्रमाणित साक्ष्य निर्गत करे कि जब पारिवारिक पेंशनर अपने पेंशन कि राशी संदेशवाहक द्वारा चेक के माध्यम से

निकासी किया तथा वीते कुछ वर्षो से इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से अपनी राशी की निकाशी करती है तो लोक सुचना पदाधिकारी - सह - मुख्य प्रबंधक बैंक ऑफ़ इंडिया हाजीपुर ने अपने द्वारा दिए हुए सुचना में यह कैसे सूचित किया कि **पारिवारिक पेंशन लेंने आने के समय पेंशनर को इस बात की बार बार सूचना दी जाती रही है कि आपको ज्यादा payment हो गया है तथा इसकी कटौती की जायगी |**

(4) कि प्रथम अपील पदाधिकारी से यह अनुरोध है कि लोक सुचना पदाधिकारी को यह आदेश दे कि मेरे द्वारा मागी गई कंडिकासंख्या (3) का प्रमाणित सुचना निर्गत करे ।

(5) प्रथम अपील पदाधिकारी आबेदिका को लोक सुचना पदाधिकारी द्वारा भ्रामक , छल , गलत सुचना निर्गत करने के लिए लोक सुचना पदाधिकारी पर अधिनियम के प्रावधान के तहत समुचित करवाई करने कि भी कृपा करे एवम इसकी सुचना आबेदिका को भी निर्गत करे ।

केंद्रीय सुचना आयोग का निर्देश -:

The Commission would like to reiterate that all the cases relating to delay in fixation/payment of pension and also arrears shall be dealt with urgently considering them as request for information concerning the life or liberty under section 7 (1) of RTI Act. Any grievance regarding these issues also should be treated as 'right to life' under Article 21 of the Indian Constitution and the public authorities shall do all the needful to address the issue within 48 hours.

It is also the duty of the FAA to identify if the issue in first appeal relates to pension and to initiate hearing process within 48 hours. The FAA being the senior officer of the Public Authority has to summon the CPIO or any other concerned officer to redress the grievance as soon as possible on an urgent basis, if the grievance can be redressed, the same has to be intimated to the appellant and hearing shall be fixed within 48 hours with due intimation to the appellant. The same thing shall apply to CIC/SIC also

Not only the CPIO, even the other authorities under RTI Act like the First appeal/second appellate authorities also should dispose such appeals involving pension issues, within 48 hours. The First appellate authority, being a senior officer of public authority, has a higher

moral, legal and human obligation to take up the case of pensions and pension-arrears on priority and at least send a hearing notice within 48 hours.

Enter Registration Number	BKOIN/A/2017/60152
Name	SRIPRIYA DEVI
Date of filing	21/08/2017
Public Authority	Bank of India
Status	APPEAL DISPOSED OF
Date of action	23/08/2017

Reply :- महाशया महाशय

इस संबंध मे हाजीपुर शाखा से मामला को take up किया गया तथा हाजीपुर शाखा ने सूचित किया है कि अभी कटौती नहीं की गयी है तथा कटौती अगस्त 2017 से की जानी है | कटौती के पूर्व आपको लिखित रूप मे सूचित किया जा चुका है कि पेंशन की राशि ज्यादा मिल रही है | हाजीपुर शाखा ने पुनः सूचित किया है कि Nov 2016 मे जीवन प्रमाण पत्र देने के समय मे भी शाखा द्वारा सूचित किया गया था |

Nodal Officer Details :-

Telephone Number	2266684566
Email Id	headoffice.legal@bankofindia.co.in

Continue
02/11/16

सावधान

धोखेबाजों से देश में ही नहीं अथवा विदेश से मिलने वाले फर्जी प्रस्ताव/संदेश/एसएमएस जैसे लॉटरी विजेता, सस्ती फंड प्रस्ताव, नौकरी के प्रस्ताव, छात्रवृत्ति के प्रस्ताव, उत्प्रवास वीसा के प्रस्ताव, विदेशी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में प्रवेश के प्रस्ताव और ऐसे ही अन्य प्रकार के फर्जी प्रस्तावों से सावधान रहें।

WARNING

Beware of fictitious offers, messages/ SMS about lottery winnings, cheap Fund Offers, employment offers, scholarship offers, offer of emigartion visas, offer of admission to reputed universities abroad and similar such offers from fraudsters within the country or from abroad.

बैंक ऑफ़ इंडिया

Bank of India

Br. Name :	HAJIPUR	Occupation :	PUBLIC UTILITIES AND SERV
Br. Address :	RAJENDRA CHOWK,, BUBNA CENTRE,HAJIPUR BIHAR, HAJIPUR, 844101	Address :	W/O DAMODAR MISHRA, JAURAHI BAZAR MISHRA BHAWAN, HAJIPUR HAJIPUR 844101 BIHAR INDIA
Br. Tel. :	06224-260302		
Br. Email :	Hajipur.Patna@bankofindia.co.in		
IFSC Code :	BKID0004654	Operational Inst:	SELF
MICR Code :	844013002	Nomination :	REGD.
Customer Id :	103155797	A/C Open Dt.:	28-07-2008
Account No. :	465412110000001	Scheme Desc:	SAVINGS BANK GENERAL
Name :	1. SRIPRIYA DEVI	Scheme Code:	SB101
		Spl. Charge Code:	

For your queries / enquiry
Toll free no. of our call center:1800220229,18001031906

Grievance Redress Officer,ZO:_____
Grievance Redress Officer,Branch:06224-260302

This pass book is system generated and does not require any initials

लोक सुचना पदाधिकारी द्वारा आबेदिका को ईमेल पर सूचित सुचना

महाशया,

कृपया हमारे दिनांक 30/08/2017 के on line reply का संदर्भ ले |

पारा एक के संदर्भ मे हाजीपुर शाखा ने सूचित किया है कि जीवन प्रमाण पत्र शाखा मे उपलब्ध नहीं है | इस संदर्भ मे कृपया जीवन प्रमाण पत्र शाखा मे जमा करे |शाखा ने इस संबंध मे सूचना आपको संवाद मे दे दिया है |पारा दो तथा पारा छह के संदर्भ मे शाखा ने सूचित किया है कि रिजर्व बैंक द्वारा औचक जाच/निरीछन किया जाता है, जो शाखा मे उपलब्ध नहीं रहता है | पारा तीन, चार तथा पाँच के संदर्भ मे यह सूचित किया जाता है कि कम या ज्यादा पेंशन पेमेंट आंतरिक गणना से भी पता चलता है और जब भी यह पता चलता है तब बैंक नियम से उचित कारवाई करने के लिए वाध्य है | दस लाख से यदि ज्यादा भुगतान पेंशनधारी को हो गया है, तब भी बैंक नियम से वसूली करने के लिए वाध्य है |

पारा सात के संदर्भ मे यह सूचित किया जाता है कि 2689 रुपैया कटौती तय की गयी है तथा इस संबंध मे आपको सूचना दे दी गई है । पारा आठ के संदर्भ मे यह सूचित किया जाता है कि पेंशन की कटौती की जाएगी या

पेंशन की कटौती की जानी है, दोनों का एक ही अर्थ है | रुपैया का कम होना 7 th pay कमिशन के अनुसार गणना के कारण है । पारा नौ के संदर्भ मे यह सूचित किया जाता है कि बैंक पेंशनधारियो को नियम के अनुसार पेंशन देने

देने के लिए प्रतिबध है | यदि पेंशनpayment ज्यादा हो जाता है, तब बैंक नियम के अनुसार कटौती करने के लिए

वाध्य है |

धन्यवाद

भवदीय

(अमरेन्द्र कुमार)

लोक सूचना पदाधिकारी)